# जोनल प्लान पास हुए बिना मंजूर होंगे नक्शे

- व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए किया गया फैसला
- अपर मुख्य सचिव आवास ने इसका शासनादेश जारी किया

लखनऊ, विशेष संवाददाता। राज्य सरकार ने ट्रांजिट ओरिएंटेड डवलपमेंट (टीओडी) क्षेत्र में ज़ोनल प्लान बने बिना नक्शा पास करने या फिर इस योजना से जुड़ी सुविधाएं देने का फ़ैसला किया है। प्लान बनने के बाद इसे समाहित कर लिया जाएगा।

यह फ़ैसला व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए लिया गया है।अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने शुक्रवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएंटेड डवलपमेंट नीत-2022 को लागू किया है। इसका मक़सद तेज़ी से विकसित होने वाले शहरों का सुनियोजित विकास कराना है। इसमें टीओडी यानी तेज़ी से विकसित होने वाले क्षेत्रों में जोनल डवलपमेंट प्लान के पूर्व से अनुमोदन की अनिवार्यता रखी गई थी।

शासन की जानकारी में आया है कि इस नीति को लागू करने के लिए पब्लिक मास ट्रांजिट परियोजनाओं जैसे मेट्रो रेल व रैपिड रेल ट्रंजिट सिस्टम के टीओडी जोन के डेवलपमेंट प्लान के पूर्व अनुमोदन की अनिवार्यता का पालन करने में व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही है।जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार करने और प्रभावी होने में प्रक्रियात्मक कारणों से समय लगने की संभावना है। इसलिए फैसला किया गया है टीओडी क्षेत्रों के जोनल डवलपमेंट प्लान के पूर्व अनुमोदन की अनिवार्यता को शिथिल किया जाएगा।